पत्रांक–योजना बजट–35/2012 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–........../06/2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2013–14 में कृषकों द्वारा निजी भूमि पर पौधें रोपित किये जाने के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014–15 से 15–16 तक कृषकों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु पूरी योजना राशि ₹ 752.12 लाख (सात करोड़ बावन लाख बारह हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु मात्र ₹343.36 लाख (तीन करोड़ तेंतालीस लाख छत्तीस हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–887 दिनांक–23.03.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में कृषकों द्वारा निजी भूमि पर लगाये गये कुल 3144294 पॉपलर प्रजाति के पौधों के विरूद्ध लगातार तीन वर्षों तक अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक, संबंधित कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान करने हेतु स्वीकृत कुल योजना राशि ₹752.12 लाख (सात करोड़ बावन लाख बारह हजार ₹ मात्र) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय के लिए ₹343.36 लाख (तीन करोड़ तैंतालीस लाख छत्तीस हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति दी गई थी।

आपके पत्रांक–1906 दिनांक–26.05.2015 द्वारा दी गई सूचनानुसार राशि की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत कुल ₹343.36 लाख (तीन करोड़ तैंतालीस लाख छत्तीस हजार ₹ मात्र) अव्ययित राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी किया जाना आवश्यक दर्शाया गया है, क्योंकि यह राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 में लगाये गये पौधों के विरूद्ध संबंधित किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाना अत्यावश्क है।

.....2

अतः आपकी अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत निदेशानुसार स्वीकृत कुल योजना राशि के अन्तर्गत संबंधित किसानों का भुगतान सुलभ हो, इस दृष्टिपथ में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूर्व से कर्णांकित ₹212.55 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 की अव्ययित राशि ₹343.36 लाख अर्थात् कुल ₹555.91 लाख (पाँच करोड़ पचपन लाख इकानवे हजार ₹ मात्र) की वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी कर व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
,सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–35/2012 1905/प०व० पटना–15, दिनांक–29/06/2015

<u>प्रतिलिपि :–</u> महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तिरहुत, वैशाली, रोहतास, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, मिथिला, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मोतिहारी, पूर्णियाँ, सहरसा, अररिया, बेतिया, भागलपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर एवं बांका तथा इनसे संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/6/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव